BSPHCL

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

महत्वपूर्ण सूचना

- सोलर पावर प्लांट के माध्यम से अपने कृषि कार्यों को सुगम एवम् सस्ता बनाने के लिए इच्छुक किसान / फर्म 02 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं !
- बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 962 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े 3188 कृषि / मिश्रित फीडरों का सोलराइज़ेशन किया जा रहा है ताकि बिहार के किसानों को पीएम कुसुम योजना का लाभ मिल सके।
- किसान अपनी जमीन पर खुद सोलर प्लांट लगा सकते हैं या फिर लीज / रेंट पर दे सकते हैं।
- एक मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग 4 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है।

योजना की प्रमुख बातें:

- वित्तीय सहायता
  - भारत सरकार: प्रति मेगावाट ₹1.05 करोड़
  - बिहार सरकार: प्रति मेगावाट ₹45 लाख
- सोलर प्लांट निर्माण: सफल निवेदक को 12 महीने के भीतर सोलर प्लांट स्थापित कर विद्युत उपकेंद्र से जोड़ना होगा।
- बिजली खरीद समझौता: वितरण कंपनी 25 वर्षों के लिए बिजली खरीदेगी।
- पात्रता:
  - किसान, किसान समूह/सहकारिता, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन, जल उपभोगकर्ता संघ, स्वयं सहायता संघ बिना किसी तकनीकी या वित्तीय मानदंड के भाग ले सकते हैं।
  - किसानों को केवल ₹1 लाख प्रति मेगावाट का ईएमडी देना होगा।

पंजीकरण:

- https://eproc2.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें।
- क्लास- 3 डिजिटल सिग्नेचर, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
- निविदा शुल्क: ₹590 टेंडर प्रोसेसिंग शुल्क, ₹11,800 रु. टेंडर शुल्क और ₹1 लाख प्रति मेगावाट अग्रिम धनराशि बैंक गारंटी अथवा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।

आवेदन की अंतिम तिथि: 02 अप्रैल 2025

अधिक जानकारी के लिए कंपनी के कार्यपालक अभियंता/सहायक कार्यपालक अभियंता 7635094261/7320924004 पर संपर्क करें।

निविदा से संबंधित दस्तावेज, विद्युत उपकेंद्रों की सूची एवं वित्तीय सहायता की पात्रता के लिए सोलर प्लांट की क्षमता को https://eproc2.bihar.gov.in पर टेंडर आईडी- 93904 के साथ देखें।

चलें, हरित ऊर्जा से खेती करें साथ ही अपनी आमदनी भी बढ़ाएं!!

@BiharEnergy | हमारा आधार, ऊर्जस्वित बिहार | @EnergyBihar

PR No.-021862 (Energy)D. 2024-25